

6/1/17

वादीगण की शौर से वकील राजेश कुमार ने बकालत नाम  
 पेश किया। पैरोकार सरकार (अपिल) वादीगण की शौर  
 से एक प्रार्थना पत्र जारी वाद काल्याहारण व न्याय सिद्ध  
 करने की शुरुआत दियाये जिन काल्पित शोरेश राजेश (1) (3)  
 व्यवहार अद्विगत अहित सधरि धारा 151 CPC का पेश किया  
 वकील शरी ने निवेदन किया कि पत्रकार ने लेख लीये बरह की  
 जाये पैरोकार सरकार के ईई आपरिल गरी की बरह पुगी  
 गरी। वकील वादी एक पैरोकार के वकील किने प्रार्थना पत्र गृह  
 ही रही प्रार्थना पत्र व बरह पर गनन करि पर प्रार्थना पत्र स्वीकार  
 शेष काम जात है। स्वीकार किया जात है। लया नये वाद की  
 शुरुआत की जाती है। एक इस वाद पर आपरिल गरी-शोरेश गरी के  
 शोरेश पारिह किने जाते है। मिसल पैरोकार कुमार होकर नया  
 से काम है। बदर दाखिल है।

ह

उपखण्ड अधिकारी  
 मसूदा (अजमेर)

22 नवंबर 17  
 वादी नं. 2  
 वादी नं. 1 व 3  
 पारि पत्रकारिता  
 नं. 3-शाम

